राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

प0क्र:–2(12)राज–6/92/पार्ट 11 जयपुर, दिनांकः– 15-3-10

परिपत्र

जिला कलेक्टरों द्वारा इस विभाग से यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि इस विभाग के परिपत्र क्र0 2(12)राज–6/92/पार्ट/4 दि0 26.3.2009 के परिपेक्ष्य गें नगरीय सीमा या पेराफेरी बेल्ट में स्थित भूदान की भूमियों पर खातेदारी अधिकार किस प्रकार दिये जायें। इस सबंध में लेख है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना क्र0 9(15) राज–6/2005/पार्ट/43 दि0 29.8.2007 द्वारा नगरीय सीमा या पेराफेरी क्षेत्र में खातेदारी अधिकार देने के सबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 में संशोधन किया गया है अतः नगरीय सीमा या पेराफेरी क्षेत्र स्थित भूदान की भूमियों के सबंध में उक्त नियम, 1970 के नियम 18 के संशोधन के अनुसार खातेदारी अधिकार देने के सबंध में कार्यवाही करावे। इस सबंध में उपनिवेशन विभाग द्वारा भी अधिसूचना क्र0 4(11)उप/96 दि0 18.1.2010 जारी की गई है अतः प्रत्येक प्रकरण में उपरोक्त दोनों अधिसूनाओं में से जो भी लागू होती हो उसके अनुसार भूदान भूमि पर खातेदारी अधिकार देने की कार्यवाही करावें।

आज्ञा से

शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय, राज0।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव